**UPAU**010023962025

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, औरैया**

दाण्डिक प्रकीर्ण संख्या–219/2025

धर्मेन्द्र सिंह यादव बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य

दिनांक–13.08.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 3ख पर सुना गया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र 3ख मय शपथ पत्र 4ख दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ कराने हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को सम्बन्धित न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.07.2024 की जानकारी नहीं हो सकी, क्योंकि प्रार्थी को कोई भी नोटिस का तामीला नहीं हुआ और न ही उसको इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी हुई। जब उसे नोटिस प्राप्त हुआ तो उसने न्यायालय के समक्ष यह दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है। उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अतः प्रार्थी द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण दायर करने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि विलम्ब को क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समुचित कारण दर्शाये जाने पर ही न्यायालय द्वारा विलम्ब उपशमित किया जायेगा। प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में यह कथन किया गया है कि उसे सम्बन्धित न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.07.2024 जानकारी नहीं हो सकी, क्योंकि उस पर नोटिस का कोई भी तामीला नहीं हुआ। जब उसे नोटिस प्राप्त हुआ तो वह न्यायालय के समक्ष यह दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा है। उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। इस प्रकार पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा अपने धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त व समुचित कारण दर्शाया गया है। ***सैनिक सिक्यूरिटी प्रति शील भाई 2008(71) ए0एल0आर0 302 सुको*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दाण्डिक पुनरीक्षण विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की दशा में दिन प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक नही है। ***शिल्पा प्रति मधुकर व अन्य 2001(1) जे0आई0सी0 588 सुको*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब सम्बन्धी प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को उदार दृष्टिकोण

अपनाना चाहिये। पुनरीक्षण को गुणदोष के आधार पर निस्तारित किये जाने से वादों की बाहुल्यता पर रोक लगना स्वाभाविक है। प्रार्थी द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण विलम्ब से दायर किया गया है, जिसके लिए विपक्षी संख्या 2 को हुई क्षति की पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः उपरोक्त निर्णयज विधियों के आलोक में तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 परिसीमा अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थनापत्र 3ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 200/–रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। दाण्डिक पुनरीक्षण अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 25.08.2026 को पेश हो।

दिनांक–13.08.2026

**(मयंक चौहान)**
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.08.13 15:04:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court